# ालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 31 / 2022(2022 / 121)

मती इन्द्रा देवी पत्नी समदरनाथ निवासी बीरवाडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थीया

बनाम

विन्द सिह पुत्र शंकर सिह निवासी भराई तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
का पटवारी प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान।

——अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

त:–1. श्री पवन कुमार राठी – वकील प्रार्थीया
2. श्री गजराज सिहं, भूपेन्द्र सिंह, शिवप्रताप सिंह– वकील अप्रार्थी संख्या 1

## –:आदेश:–

दिनांक–26.7.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम रणजीतपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित त का विवरण निम्न प्रकार है।

| ख्या नया | खसरा संख्या | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|
| | 1846 | 0.76 | बारानी 1 |

संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की मैं एक मात्र खातेदार है जिस पर मैं कई वर्षो स काश्त करती रही हूँ। जिस पर मेरा पूर्ण कब्जा है। मेरी आराजीयात खसरा नम्बर 1846 से लगवा आराजीयात म्बर 5781 / 1848 में भवन निर्माण कार्य चल रहा है। जिसने अवैध रूप से मेरी आराजीयात में प से भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिससे मुझे काफी अधिक नुकसान हो रहा है तथा अप्रार्थी अवैध रूप से मेरी खातेदारी भूमि को हडपने पर आमादा है। नीवें खुदवाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ ा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 को उसके अवैध कब्जे बाबत् उलाहना देने पर वह हमेशा लडाई झगडे रू होता है तथा ऐलानिया धमकियाँ देता है कि मैने कब्जा कर लिया है मेरा कोई कुछ नही बिगाड है पुलिस व कानून को मैं जेब में रखता हूँ। कि प्रार्थी को जबरन अवैध रूप से अपनी ही खातेदारी ा से धनबल एवं बाहुबल के आधार पर बेदखल किया जा रहा है। जो अविधिक है अत: यह वाद यायालय में प्रस्तुत करने को बाध्य होना पडा। खसरा नम्बर 1846 की आराजीयात बाबत् पूर्व में भी प्रकार का विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है । प्रार्थीया को उक्त भूमि पुश्तैनी रूप ा हुई है एवं प्रार्थीया ही लगातार उक्त भूमि का नियमित रूप से लगान अदा करती चली आ रही है। राजस्थान सरकार के तमाम् रिकॉर्ड में उक्त भूमि की खातेदारी के रूप में प्रार्थीया को ही दर्शाया राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 188 के तहत प्रार्थीया की अवैध बेदखली पर रोक लगाई दिनांक 10 फरवरी 2022 करे अप्रार्थी संख्या ने पूर्व नियोजित साजीश के तहत एक राय होकर

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

प्रार्थीया को डरा धमका कर प्रार्थीया की कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 1846 पर
कब्ज़ा लेकर वादीया को डरा धमका कर प्रार्थीया की कब्जे काश्त
आ दी है और जबरन प्रार्थीया को बेदखल करना चाहते है। अतः वाद का कारण दिनांक 10
22 से लेकर आज तक बना हुआ है इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना लाजमी
। टिनेन्सी एक्ट की धारा 209 का भी वादीया को लाभ दिलवाया जावें । खसरा नम्बर 1846 के
करवाकर राजस्व विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर श्रीमान् के द्वारा वास्तविक स्थिति जानी जा सकती
128 के अनुसार लगान की वसूली पर भी स्थायी निषेधाज्ञा तक रोक लगायी जावें । प्रार्थीया का
फसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। तथा अगर अप्रार्थी संख्या 1
अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुद्रा
नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 को खुद व जरिये उनके मित्र नोकर, एजेन्ट
नुमाईन्दगान आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वाद वर्णित आराजीयात में
पुश्तैनी आराजीयात के खसरा नम्बर 1846 के कब्जे काश्त का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार
दखलन्दाजी नहीं करने का निवेदन किया।

पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी संख्या 1
जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। **जवाब निम्नानुसार है:–**

प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 में प्रार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है शेष कथन
स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन राजस्व रकार्ड से संबंधित है, प्रार्थिया
करे । प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में अंकित कथन कतई मिथ्या, मनगढ़त एवं असत्य होने से
1 को दृढता पूर्वक अस्वीकार है। अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रार्थिया की वाद वर्णित आराजीयात खसरा
46 पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया गया है तथा ना ही कोई निर्माण कार्य प्रार्थिया की
त पर किया गया है। प्रार्थिया द्वारा वर्णित कथनो से स्वतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी स. 1 द्वारा जो
र्य किया जा रहा है वह आराजी खसरा सं. 5781 / 1848 पर किया जा रहा है, अतः प्रार्थिया के
से ही स्पष्ट है कि अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रार्थिया की आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई निर्माण
किया जा रहा है। प्रार्थिया कतई मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स
नाजायज रूप से हैरान एवं परेशान करने के दुराशय से पेश किया गया है । प्रार्थना पत्र की चरण
अंकित कथन कतई मिथ्या, मनगढत एवं असत्य होने से अप्रार्थी सं. 1 को दृढता पूर्वक अस्वीकार
ी स. 1 ने प्रार्थिया को कभी किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5
कथन कतई मिथ्या, मनगढत एवं असत्य होने से अप्रार्थी सं. 1 को दृढता पूर्वक अस्वीकार प्रार्थना
चरण सं. में अंकित कथन प्रार्थिया स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र की चरण स. 7 में अंकित कथन
स्वयं सिद्ध करे । प्रार्थना पत्र की चरण सं. 8 में अंकित कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से
। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 9 में अंकित कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करें।
त्र की चरण स. 10 में अंकित कथन कतई मिथ्या, मनगढत एवं असत्य होने से अप्रार्थी सं. 1 को
पूर्वक अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किसी भी रूप में प्रार्थिया को बेदखल नही
रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 11 में अंकित कथन कतई मिथ्या, मनगढंत एवं असत्य होने से
स.1 को दृढता पूर्वक अस्वीकार है। प्रार्थिया ने कतई गलत एवं मिथ्या कथन अंकित किया है।
स. 1 ने प्रार्थिया की आराजी खसरा नम्बर 1846 पर ना तो नींव खोदी जा रही है और ना ही
की आराजी पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अप्रार्थी स. 1 द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है
निर्माण कार्य अपनी स्वयं की खरीदशुदा भूमि में किया जा रहाहै जो भूमि आराजी खसरा नम्बर 1848
5781 / 1848, 5782 / 1849 का भाग है, जो अप्रार्थी स. 1 की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा
आवासीय भूमि का भाग है। अप्रार्थी स. 1 द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह अपनी स्वयं
खरीदशुदा एवं नाप की भूमि में किया जा रहा है। अप्रार्थी स. 1 द्वारा प्रार्थिया को कभी कोई धमकी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

दी है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 12 में अंकित कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करे
पत्र की चरण सं. 13 में अंकित कथन प्रार्थिया स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करें। प्रार्थना पत्र के
6 के कथन पूर्णतया अस्वीकार है। प्रार्थिया का कोई प्राईमाफेसाई केस नहीं है ना सुविधा का
र्थिया के पक्ष में है। शेष प्रार्थना प्रार्थिया है जो कतई मिथ्या होने से अस्वीकार किये जाने योग्य
ब में अतिरिक्त कथन करते हुऐ कहा कि प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस
नहीं है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के
लने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है । वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जो
या जा रहा है वह निर्माण कार्य अपनी स्वयं की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा भूमि में
रहा है जो भूमि आराजी खसरा नम्बर 1848, 1849, 5781/1848, 5782/1849 का भाग है, जो
1 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदशुदा है, जो आवासीय भूमि का भाग है। अप्रार्थी सं. 1
निर्माण कार्य किया जा रहा है वह अपनी स्वयं की खरीदशुदा एवं नाप की भूमि में किया जा रहा
या ने अप्रार्थी सं. 1 को नाजायज हैरान एवं परेशान करने के आशय से तथा अप्रार्थी सं. 1 का
रवार करने के आशय से यह कतई मिथ्याएवं मनगढंत आधारों आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है,
योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया।
टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है
त नही कहा जा सकता है। प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का सन्तुलन भी
ा गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र
होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है
धिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner